उदाहरण (Illustration) 11

स्रोत पर कर की कटौती के बिना पेशेवर सेवाओं के लिए फीस के रूप में 1.7.2019 को श्री X को ₹ 40,000 की राशि का भुगतान किया गया था। इसके बाद ₹ 50,000 का एक और भुगतान 28.2.2020 को श्री X को देय था, जिसमें सम्पूर्ण राशि ₹ 90,000 पर 10% *की दर से (₹ 9,000 की राशि) कर काट लिया गया। ₹ 9,000 का यह कर केवल 22.6.2020 पर जमा किया गया। धारा 201 (1A) के तहत ब्याज प्रभार्य की गणना करें।*

हल (Solution)

धारा 201 (1A) में ब्याज की गणना निम्न प्रकार होगी :

विवरण	₹
कटौती योग्य लेकिन कटौती किए कर पर 4,000 × 8 × 1% ब्याज	320
कटे हुए कर को जमा न करने पर $1\frac{1}{2}$ × 9,000 × 4 माह :	540
	860

(ii) धारा 200 (3) अन्तर्गत विवरण देने से पूर्व इस ब्याज को जमा करना होगा।

(iii) जहाँ भुगतानकर्त्ता निवासी को जमा या भुगतान की गई राशि पर कर का पूरा या कुछ भाग नहीं काटता है तथा निवासी प्राप्तिकर्त्ता द्वारा कर के भुगतान के कारण उसे धारा 201(1) में अपराधी करनिर्धारिती नहीं माना गया हो तब धारा 201(1A) (i) के अंतर्गत की ब्याज अर्थात् 1% प्रतिमाह या माह का भाग भुगतानकर्त्ता द्वारा कर कटौती की तिथि से निवासी प्राप्तिकर्त्ता द्वारा जमा आय विवरण की तिथि तक चुकाने योग्य है। भुगतानकर्त्ता द्वारा कर कटौती तथा भुगतान की तिथि को निवासी प्राप्तिकर्त्ता द्वारा आय विवरण की जमा तिथि को माना जाएगा।

(iv) जहाँ कर का भुगतान उसकी कटौती के बाद नहीं किया गया हो तब कर को साधारण ब्याज की राशि के साथ व्यक्ति या कम्पनी जो भी स्थिति हो की सभी सम्पत्ति पर आदेय होगा।

(4) कर कटौती करने में असफल होने के दोषी करदाता माने जाने की समय सीमा

धारा 201(1) के तहत भारत में निवासी व्यक्ति से कर के किसी भाग या पूर्ण की कटौती की विफलता के लिए, चूक के मामले में निर्धारिती माने जाने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित की समाप्ति पर कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

— वित्तीय वर्ष, जिसमें भुगतान किया गया है या जमा किया गया है, की समाप्ति से सात वर्ष

© The Institute of Chartered Accountants of India

— उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति में 2 वर्ष जिसमें संशोधित विवरण धारा 200(3) के प्रावधान के तहत वितरित होगा।

जो भी बाद में हों।

(5) **TDS को भुगतान न करने पर समय सीमा निर्दिष्ट नहीं**

धारा 201 (1) किसी व्यक्ति को दोषी करदाता मानती है, यदि वह

(i) कर कटौती नहीं करें; या

(ii) भुगतान न करें; या

(iii) कटौती के बाद भुगतान में असफल रहे

अधिनियम के अधीन आवश्यक कर का पूर्ण या अंश अत : धारा 201(1) में तीन प्रकार के दोष हैं। (ii) का दोष (iii) के अन्तर्गत है। लेकिन केवल (i) में निर्दिष्ट दोष के लिए ही समय सीमा निश्चित की गई है। अन्य दोषों की समय सीमा निश्चित नहीं है।

अत : धारा 201 (1) के अन्तर्गत आदेश के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है जहाँ

(i) कटौतीकर्ता ने काटकर जमा नहीं किया, क्योंकि यह सरकारी भुगतान का गबन होगा,

(ii) धारा 192(1A) में नियोक्ता कर को पूर्ण या आंशिक रूप में भुगतान करने में असफल रहा है, क्योंकि इन अनुलाभों पर कर्मचारी कर का भुगतान नहीं करता।

(iii) करदाता अनिवासी है ऐसे में प्रशासनिक तौर पर कर वसूली संभव नहीं होगी।

6.6. कटौती वसूली की केवल एक विधि [धारा 202] [Deduction only one mode of recovery (Section 202)]

(1) कर की TDS से वसूली केवल एक विधि है

(2) कर निर्धारण अधिकारी TDS के अतिरिक्त अन्य कोई विधि काम में ले सकता है।

6.7. कर कटौती का प्रमाण पत्र (धारा 203) [Certificate for tax deducted (Section 203)]

(1) TDS करने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि कितनी राशि का किस दर से तथा कटौती की गई है तथा अन्य निर्धारित विवरण के साथ।

(2) नियोक्ता के रूप में कोई व्यक्ति धारा 192(1A) में कटौती राशि कटौती दर तथा अन्य निर्धारित विवरण का प्रमाण पत्र जिस व्यक्ति की आय से कटौती की है तथा इस बात का प्रमाण पत्र भी कि कर को केन्द्र सरकार के खाते में जमा कर दिया गया है।

(3) धारा 203 नियम 31] के अन्तर्गत TDS प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना धारा 192 में TDS का प्रमाण पत्र धारा 203 अन्तर्गत फार्म 16 में तथा अन्य दशाओं में फार्म 16A में देना है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

फार्म 16 में प्रमाण पत्र 15 जून तक कर्मचारी को वार्षिक उस वर्ष की आय कर कटौती व जमा के सम्बन्ध में जिस वित्तीय 4 वर्ष में आय का भुगतान तथा कर जमा के अगले वित्तीय वर्ष में देना है। फार्म 16A नियम 31A अन्तर्गत TDS विवरण देने की नियत तिथि के 15 दिन के अन्दर जारी करना होगा।

फॉर्म संख्या 16B या 16C धारा 194-IA या 194-IB के तहत कर की कटौती के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति द्वारा नियम 31A के तहत फॉर्म संख्या 26QB में चालान सह विवरण की प्रस्तुति के लिए देय तिथि से 15 दिन के भीतर भुगतानकर्ता द्वारा जारी किया जायेगा।

6.8 कर कटौती का विवरण प्रदान करना [धारा 203 AA] [Furnishing of Statement of tax deducted (Section 203AA)]

(1) **इस धारा में** TDS का विवरण 1.4.2008 या बाद से निर्धारित आय कर अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा धारा 200(3) में संदर्भित विधि से दिए जाने की व्यवस्था है।

(2) ऐसे विवरण को तैयार कर के प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को देना है–

(a) जिस की आय से कर कटौती की गई हो, या

(b) जिस की आय पर कर का भुगतान किया गया हो

(3) ऐसा विवरण कटौती की राशि व भुगतान को दर्शाते हुए निर्धारित सूचनाओं के साथ निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए।

(4) तदनुसार DGIT (प्रणाली) तथा DGIT (प्रणाली) द्वारा अधिकृत व्यक्ति को TDS का विवरण निम्न वर्ष की 31 जुलाई को फॉर्म नं. 26AS में देना होगा।

नोट : सम्पूर्ण TDS प्रक्रिया को अगले पृष्ठ पर प्रदत्त चित्र से एक नजर में समझा जा सकता है। नियमों व प्रारूपों का सन्दर्भ केवल विद्यार्थियों की सूचनार्थ है। फिर भी उन्हें परीक्षा के उद्देश्य से प्रारूप स. को याद करने की आवश्यकता **नहीं है।**

© The Institute of Chartered Accountants of India

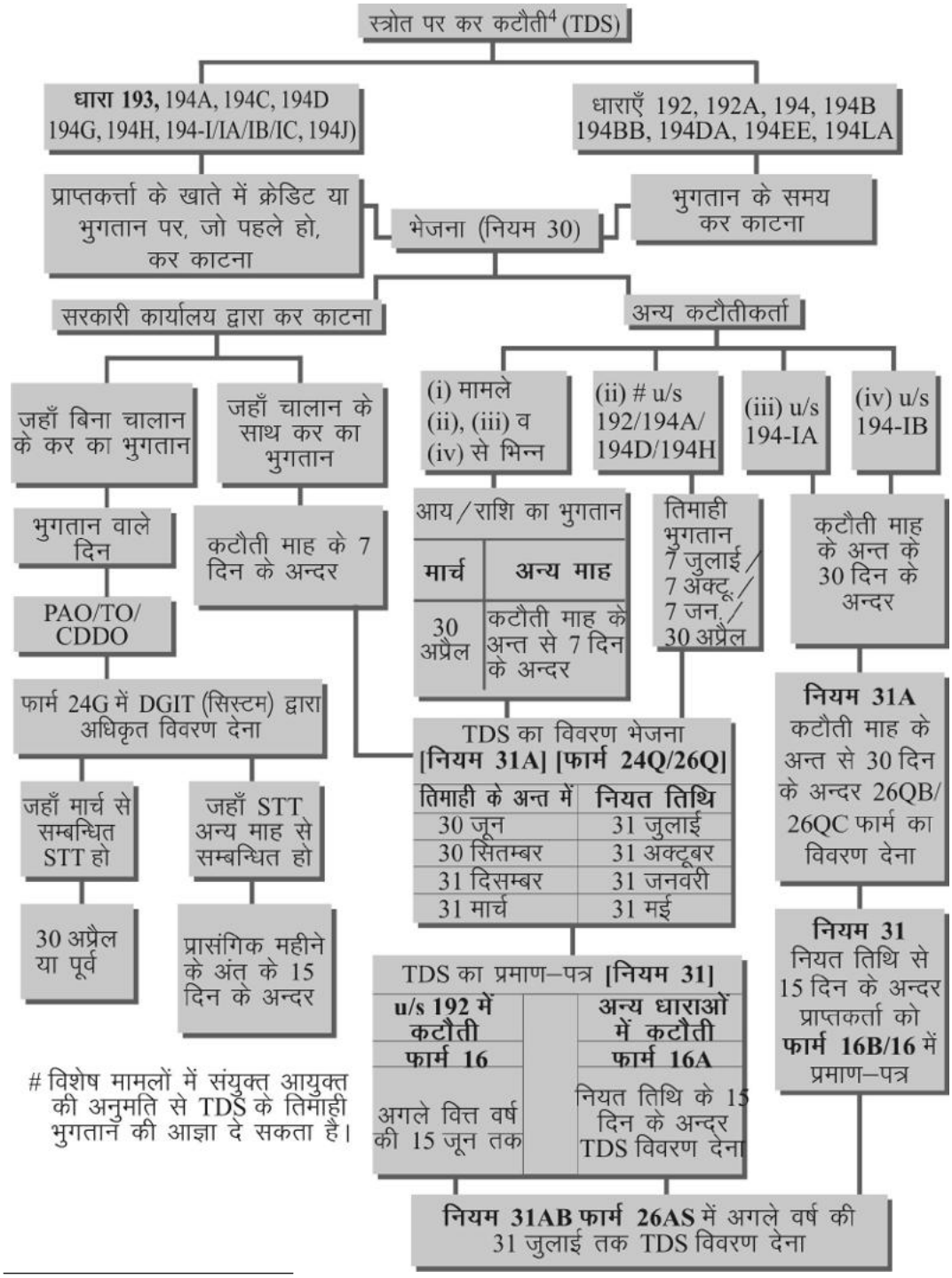

4. नवीन सम्मिलित धारा 194M और 194N के सम्बन्ध में भुगतानकर्ता के लिए प्रेषण, TDS के विवरणों की प्रस्तुति और TDS के प्रमाण–पत्र से सम्बन्धित नियम इस सामग्री के प्रकाशन की तिथि पर अभी निर्दिष्ट किए जाएंगे। अतः, इन धाराओं से सम्बन्धित उल्लेख उपर्युक्त चित्रण में नहीं दिया गया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

6.9 TDS के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति [धारा 204] [Person responsible for paying taxes deducted at source (Section 204)]

TDS के उद्देश्य हेतु वाक्यांश भुगतान हेतु उत्तरदायी व्यक्ति का अर्थ है :

	आय/भुगतान का स्वभाव	कर भुगतान हेतु उत्तरदायी व्यक्ति
(1)	वेतन (केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा भुगतान वेतन से भिन्न)	(i) नियोक्ता स्वयं; या (ii) यदि नियोक्ता कम्पनी है तो स्वयं कम्पनी मुख्य अधिकारी सहित
(2)	प्रतिभूतियों पर ब्याज (केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा या उनकी ओर से भुगतान से भिन्न)	स्थानीय अधिकारी, कॉरपोरेशन या कम्पनी, उसके मुख्य अधिकारी समेत।
(3)	अनिवासी भारतीय को भुगतान योग्य कोई राशि जो विदेशी विनिमय सम्पति के प्रतिफल स्वरूप हो तथा जो अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति न हो	ऐसी राशि के अनिवासी भारतीय को भुगतान के लिए या अनिवासी (बाह्य) खाते में क्रेडिट जिसे विदेशी विनिमय प्रबन्ध एक्ट, 1999 के अनुरूप तथा उसके नियमों के अधीन रखे गए खाते में क्रेडिट के लिए उत्तरदायी व्यक्ति।
(4)	किसी गैर–निगमित अनिवासी या विदेशी कम्पनी को भुगतान किसी राशि से सम्बन्धित सूचना देना चाहे इस अधिनियम में कर–योग्य हो या नहीं	(i) स्वयं भुगतानकर्ता; या (ii) यदि भुगतानकर्ता कम्पनी है तो स्वयं कम्पनी और उसका मुख्य अधिकारी
(5)	अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रेडिट/भुगतान कोई अन्य राशि	(i) स्वयं भुगतानकर्ता; या (ii) यदि भुगतानकर्ता कम्पनी है तो कम्पनी स्वयं व उसका मुख्य अधिकारी
(6)	केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा या उन की ओर से किसी अधिनियम के अन्तर्गत क्रेडिट/भुगतान कोई राशि	(i) आहरण एवं वितरण अधिकारी; या (ii) अन्य कोई व्यक्ति, चाहे नाम जो भी हो, किसी राशि के क्रेडिट या भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति

6.10 करदाता से सीधे माँग पर रोक [धारा 205] [Bar against direct demand on assessee (Section 205)]

जहाँ पूर्व में वर्णित धाराओं के अन्तर्गत कर कटौती की गई हो उस सीमा तक करदाता से कर भुगतान के लिए न कहा जाए जितना उसकी आय से कटौती हो चुकी है।

6.11 निवासियों को ब्याज भुगतान बिना TDS से सम्बन्धित विवरण भेजना [धारा 206A] [Furnishing of statements in respect of payment of interest to residents without deduction of tax (Section 206A)]

इस धारा में प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी या सहकारी समिति या धारा 194A(3)(i) में संदर्भित सार्वजनिक कम्पनी पर यह उत्तरदायित्व डाला गया है कि निर्धारित ऐसे विवरण निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें—

— यदि वे किसी निवासी को भुगतान के लिए उत्तरदायी हों;

© The Institute of Chartered Accountants of India

— जहाँ भुगतानकर्ता बैंकिंग कम्पनी या सहकारी समिति हो तो अधिकतम ₹ 10,000 तथा अन्य दशाओं में ₹ 5,000 ।

— ऐसी आय ब्याज के रूप में हो (प्रतिभूति ब्याज से भिन्न)

(2) विवरण को आयकर अधिकारी या उसके द्वारा अधिकारी को देना है या दिलवाना है।

(3) इस तरह के विवरणों को निर्धारित तरीके से सत्यापित करने के लिए विवरण को निर्धारित रूप में होना चाहिए। निर्धारित समय के भीतर विवरण दर्ज करना होगा।

(4) केन्द्र सरकार अधिकाधिक गजट की अधिसूचना के द्वारा ऊपर लिए (1) व्यक्ति के अतिरिक्त भी किसी को उत्तरदायित्व दे सकती है।

(5) ऐसे व्यक्ति को उस अवधि के लिए निर्दिष्ट फॉर्म में जैसा भी निर्धारित हो विवरण बनाने की आवश्यकता होगी और ऐसे विवरण को निर्धारित समय के भीतर निर्दिष्ट आयकर प्राधिकरण या उस प्राधिकरण द्वारा अधिकृत व्यक्ति को वितरण या वितरित किया जाएगा।

(6) इस तरह के विवरण निर्धारित प्रपत्र में होने चाहिए जिसमें ऐसे विवरण हों और निर्धारित तरीके से सत्यापित हों।

(7) (1) और (4) से सन्दर्भित व्यक्ति भी निर्दिष्ट प्राधिकरण एक सत्यापित विवरण का वितरण कर सकता है।

(a) किसी त्रुटि के सुधार के लिए; या

(b) उपयुक्त (2) और (5) में सन्दर्भित वितरण विवरण में प्रस्तुत जानकारी में जोड़ना, घटाना या सुधार करना।

6.12 कटौतीकर्ता व करदाता के बीच पत्र व्यवहार के दौरान सभी TDS विवरण, बिलों व वाउचरों पर PAN अंकित करने की अनिवार्यता (धारा 206AA) [Mandatory requirement of furnishing PAN in all TDS statements, bills, vouchers and correspondence between deductor and deductee (Section 206AA)]

(1) करदाताओं द्वारा PAN न देने से आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग में कठिनाई के कारण व TDS की क्रेडिट प्रदान न करने से रिफण्ड जारी करने में देरी होती है।

(2) PAN व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए धारा 206AA में यह प्रावधान किया गया है कि जिस व्यक्ति की आय पर TDS होना है, करदाता को कटौतीकर्ता के पास PAN देना अनिवार्य है अन्यथा कटौतीकर्ता निम्न में से अधिक दर से TDS कटेगा—

(i) अधिनियम में निर्धारित दर; या

(ii) वर्तमान दर अर्थात् वित्त अधिनियम में वर्णित दर; या

(iii) 20% की दर से

उदाहरण के लिए, प्लाण्ट व मशीनरी के किराए की दशा में, PAN न देने पर TDS 194-I में निर्धारित 2% के स्थान पर 20% की दर से होगा। लेकिन 194B के अन्तर्गत लॉटरी आय, कार्ड गेम इत्यादि आय पर करदाता द्वारा PAN नहीं उपलब्ध कराने पर TDS 30% की दर से होगा। तथापि, जहाँ भी TDS 20% से उच्चतर दर से होना हो, यह प्रावधान अप्रभावी होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(3) जहाँ करदाता फार्म 15G या 15H में (u/s 197A) घोषणा करता है और PAN उपलब्ध न कराने पर इस दशा में भी TDS ऊपर वर्णित दरों से ही होगा।

(4) इसके अतिरिक्त धारा 197 के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा जब तक आवेदन में आवेदक का PAN नहीं हो।

(5) कटौतीकर्ता व करदाता दोनों को ही सभी पत्र व्यवहार,बिलों, वाउचर व अन्य प्रलेखों के आदान–प्रदान में PAN देना अनिवार्य होगा।

(6) यदि कटौतीकर्ता को प्रदत्त PAN अवैध हो या करदाता से सम्बन्धित न हो तो यह माना जाएगा कि करदाता ने कटौतीकर्ता को PAN उपलब्ध नहीं कराया है। तद्नुसार TDS (ii) में निर्दिष्ट दर से होगा।

नोट : धारा 206AA के प्रावधानों का अनिवासियों पर लागू होने सम्बन्धी व्यवहार Final Level पर बताए जाएंगे।

7. कर का अग्रिम भुगतान [धाराएं 207 से 219] [Advance Payment of Tax (Sections 207 to 219)]

7.1 अग्रिम कर भुगतान का उत्तर दायित्व (Liability for Payment of Advance Tax)

(1) करदाता की चालू आय के सम्बन्ध में अर्थात् वित्त वर्ष के अगले कर निर्धारण वर्ष की कुल करयोग्य आय पर धाराओं 208 से 219 के प्रावधानों के तहत वित्त वर्ष के दौरान कर का अग्रिम भुगतान करना होगा। (धारा 207)।

(2) धारा 208 के अधीन, ऐसी प्रत्येक दशा में जहाँ देयकर ₹ 10,000 या अधिक हो, कर का अग्रिम भुगतान करना होगा।

नोट : देय कर की राशि ₹ 10,000 से कम होने पर धाराओं 234B व 234C के अन्तर्गत ब्याज का भार न होगा, लेकिन धारा 234A के अन्तर्गत देरी से रिटर्न भरने पर ब्याज देय होगा।

(3) ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी निष्क्रिय आय के स्रोत जैसे ब्याज, किराया इत्यादि हों उन्हें अग्रिम कर का भुगतान करने में वास्तविक तौर पर कठिन होगा। इसलिए, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों पर अग्रिम कर की अनुपालना के बोझ को हल्का करने के लिए उन्हें इससे छूट प्रदान की गई है बशर्ते कि वह निवासी हो—

(i) 'उसकी व्यवसाय या पेशे' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय न हो; और

(ii) 60 वर्ष या अधिक आयु के हों।

ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को अग्रिम कर भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है तथा स्वयं कर निर्धारण (TDS से भिन्न) से कर भुगतान कर सकते हैं।

7.2 अग्रिम कर की गणना (Computation of Advance Tax)

(1) किसी भी करदाता को अपनी चालू आय का अनुमान लगाकर अग्रिम कर का भुगतान करना होगा। उस कर निर्धारण अधिकारी को अपना अनुमानित विवरण नहीं भेजना सिवाय जब तक कर निर्धारण अधिकारी का नोटिस प्राप्त न हो।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(2) जहाँ अग्रिम कर उत्तरदायित्व उत्पन्न हो, करदाता को स्वयं अपनी आय पर लागू दरों से गणना करनी होगी तथा उसे जमा करना होगा चाहे पूर्व में उस पर कर लागू हो या नहीं।

(3) ऐसे व्यक्ति की दशा में जिस पर गतवर्ष की आय के सम्बन्ध में नियमित कर निर्धारण हो चुका हो, तथा कर निर्धारण अधिकारी की राय में उसे अग्रिम कर भुगतान करना चाहिए, तो वह धारा 210(3) के अन्तर्गत अग्रिम कर भुगतान का आदेश दे सकता है।

(4) इस उद्देश्य से उसके पूर्व गतवर्ष की कुल आय जिसके सम्बन्ध में नियमित कर निर्धारण हुआ हो अगले वर्ष के गतवर्षों में रिटर्न कुल आय जो अधिक हो उसके आधार पर अग्रिम कर की गणना की जाएगी।

(5) ऊपर वर्णित कर–निर्धारण अधिकारी का आदेश वित्त वर्ष में किसी भी समय लेकिन फरवरी के अन्तिम दिनांक तक आ सकता है।

(6) यदि नोटिस भेजने के बाद लेकिन वित्तीय वर्ष में एक मार्च से पहले, करदाता बाद के गतवर्ष की रिटर्न भरता है या बाद की रिटर्न में कर निर्धारण पूर्ण हो जाता है तो कर निर्धारण अधिकारी इस प्रकार निर्धारित या रिटर्न के आधार पर आय गणना अनुसार अग्रिम कर के भुगतान आदेश में संशोधन कर सकता है।

(7) यदि करदाता को लगता है कि अग्रिम कर का उसका अनुमान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भेजे गए कर से कम है तो वह अपनी आय व उस पर अग्रिम कर का अनुमान फाइल कर सकता है।

(8) जब करदाता का अनुमानित अग्रिम कर कर निर्धारण अधिकारी के अनुमान से अधिक हो तो कर का भुगतान ज्यादा राशि पर आधारित होगा।

(9) सभी दशाओं में, कर की संगणित राशि में से TDS की राशि घटायी जाएगी।

अग्रिम कर दायित्व की गणना करने पर न काटे गए कटौती योग्य कर में कोई कमी नहीं होगी।

(i) धारा 209 के प्रावधानों के अनुरूप, किसी व्यक्ति के अग्रिम कर भुगतान योग्य राशि में से गतवर्ष की कुल आय पर TDS की राशि को घटा देते हैं।

(ii) कुछ न्यायालयों की राय में जहाँ किसी राशि (जिस पर TDS कटौती योग्य है) का भुगतान बिना TDS करता है तो करदाता का उत्तरदायित्व उस सीमा तक अग्रिम कर भुगतान करने का नहीं है।

(iii) ऐसे व्यक्ति (प्राप्तकर्ता) को अग्रिम कर चुकाने के लिए उत्तरदायी ठहराने हेतु धारा 209(1)(d) के प्रावधान में यह व्यवस्था है कि TDS जो नहीं काटा गया है को प्राप्तकर्ता के अग्रिम कर दायित्व के निर्धारण के लिए उसके कर दायित्व से नहीं घटाया जाएगा।

(iv) इसका अर्थ यह है कि अग्रिम कर दायित्व की गणना के लिए केवल वास्तव में काटे गए कर की राशि को ही कम किया जा सकता है। कटौती योग्य कर जिसकी कटौती न की गई हो,उसे अग्रिम की कर की गणना के लिए कम नहीं किया जाएगा।

(10) करदाता द्वारा वित्त वर्ष में अग्रिम आयकर राशि की गणना निम्न के द्वारा की जाएगी—

(i) करदाता स्वयं द्वारा उसके चालू वर्ष की आय के अनुमान के आधार पर; या।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) धारा 210(3) या धारा 210(4) के संशोधित कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के आधार पर

अग्रिम कर की गणना हेतु धारा 209(2) के प्रावधानों के अनुरूप शुद्ध कृषि आय को भी अग्रिम कर की गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

7.3 अग्रिम कर की किस्तें व नियत तिथियाँ (Instalments of advance tax and due dates)

(1) **निगमित व गैर निगमित (धारा 44AD(1) व धारा 44ADA (1) के अन्तर्गत अनुमानित आधारित लाभों की गणना वाले करदाताओं से भिन्न] दोनों करदाताओं के लिए सामान्य अग्रिम कर भुगतान अनुसूची :**

किस्त की नियत तिथि	भुगतान योग्य राशि
15 जून या उससे पूर्व	अग्रिम कर दायित्व का कम से कम 15%
15 सितम्बर या उससे पूर्व	अग्रिम कर दायित्व का न्यूनतम 45% जिसमें से पूर्व की किस्त को घटाकर, यदि कोई हो
15 दिसम्बर या उससे पूर्व	अग्रिम कर दायित्व का 75% जिसमें से पूर्व की किस्त या किस्तें घटाकर, यदि कोई हो
15 मार्च या उससे पूर्व	अग्रिम कर की पूरी राशि जिसमें से पूर्व में भुगतान किस्त या किस्तों की राशि घटाकर यदि कोई हो।

नोट : 31 मार्च या उससे पूर्व भुगतान अग्रिम कर की राशि को प्रत्येक वर्ष की 15 मार्च या उससे पूर्व अग्रिम कर भुगतान माना जाएगा।

(2) **वे करदाता जिन्हें धाराओं 44AD (1) या 44ADA (1) के अन्तर्गत अनुमानित आधार पर लाभ की गणना करना है,उन्हें 15 मार्च तक अग्रिम कर जमा करना होगा।**

धारा 44AD(1) में संदर्भित पात्र व्यवसाय के सम्बन्ध में अनुमानित आधार पर व्यवसाय से लाभ की गणना के विकल्प के लिए पात्र करदाता को या इसी आधार पर धारा 44ADA(1) में संदर्भित व्यवसाय के सम्बन्ध में व्यवसाय के लाभों की गणना करने वाले करदाताओं को अग्रिम कर की सम्पूर्ण राशि वित्त वर्ष के 15 मार्च या उससे पहले भुगतान करनी होगी।

फिर भी, 31 मार्च या उससे पूर्व भुगतान अग्रिम कर की राशि को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 15 मार्च तक अग्रिम कर भुगतान माना जायेगा।

(3) यदि अग्रिम कर के भुगतान की अन्तिम तिथि को बैंक बन्द है तो करदाता उसके अगले कार्य दिवस में भुगतान कर सकता है और इस दशा में 234B व 234C में अनिवार्य आरोपित ब्याज देय न होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(4) जहाँ अग्रिम कर की राशि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी[5] माँग नोटिस पर जमा करना हो तो मांग नोटिस में निर्दिष्ट अग्रिम कर को नियत तिथि को या पहले जमा करना होगा जो मांग नोटिस मिलने के बाद नियत हो।

(5) जहाँ करदाता ने नियत तिथि को अग्रिम कर की किस्त का भुगतान न किया हो उसे ऐसी किस्त के लिए दोषी करदाता माना जाएगा।

7.4 अग्रिम कर के लिए क्रेडिट [धारा 219] [Credit for advance tax (Section 219)]

करदाता द्वारा अग्रिम भुगतान या वसूल ब्याज या जुर्माने से भिन्न राशि को उसकी आय पर अग्रिम कर मानकर उसकी क्रेडिट नियमित कर निर्धारण में दी जाएगी।

7.5 अग्रिम कर के भुगतान न करने या कम भुगतान पर ब्याज [धारा 234B] [Interest for non-payment or short-payment of advance tax (Section 234B)]

(1) निर्धारित कर के 90% से कम अग्रिम भुगतान या भुगतान न करने पर धारा 234B के अन्तर्गत ब्याज देय होगा।

(2) वित्त वर्ष की अगली अप्रैल से धारा 143(1) अन्तर्गत कर निर्धारण तक की अवधि के लिए 1% प्रतिमाह या उसके भाग के लिए जुर्माना देना होगा।

(3) ऐसे ब्याज की गणना निर्धारित कर व अग्रिम कर भुगतान के अन्तर की राशि पर की जाएगी।

(4) अनुमानित कर है कुल आय पर गणना किए गए कर घटाएं (–)

— स्रोत पर काटा गया या एकत्र किया गया कर

— **धारा 89 के तहत स्वीकृत कोई कर की राहत**

— धारा 115JD के प्रावधानों के अनुसार सेट ऑफ करने के लिए स्वीकृत कर क्रेडिट।

(5) हालाँकि, 140A या अन्य में निर्धारिती द्वारा स्वः निर्धारित कर का भुगतान किया गया हो, ब्याज की गणना करके भुगतान की तिथि तक की जायेगी तथा इस धारा के तहत देय ब्याज के लिये यदि 140A में भुगतान किया गया है तो वह ब्याज घटाई जायेगी।

7.6 अग्रिम कर के स्थगन पर भुगतान योग्य ब्याज (धारा 234C) [Interest payable for deferment of advance tax (Section 234C)]

(a) धारा 234C के अन्तर्गत निगमित व गैर निगमित कर दाताओं के स्थगित अग्रिम कर पर ब्याज की गणना :

यदि कोई कर दाता उससे भिन्न कर दाता जो अपने व्यवसाय व पेशे की आय की घोषणा धारा AD(1) व धारा 44ADA (1) के अनुरूप करता हो, जो धारा 208 के अन्तर्गत अग्रिम कर भुगतान के लिए उत्तरदायी है तथा ऐसे कर या अग्रिम कर का भुगतान नियत तिथि तक भुगतान करने में असफल रहता है तथा चालू आय पर निर्दिष्ट प्रतिशत कालम (1) से कालम (2) में निर्दिष्ट कर % से कम रहता है, तो कालम (4) की अवधि के लिए कमी की राशि (3) में धारा 234 के अन्तर्गत 1% प्रतिमाह की दर से सरल ब्याज देय होगा।

---

5 Under Section 156.

© The Institute of Chartered Accountants of India

निर्दिष्ट तिथि (1)	निर्दिष्ट % (2)	अग्रिम कर में कमी (3)	अवधि (4)
15 जून	15%	रिटर्न आय पर देयकर का 15% (–) 15 जून तक अग्रिम कर भुगतान	3 माह
15 सितम्बर	45%	रिटर्न आय पर देय कर का 45% (–) 15 सितम्बर तक अग्रिम कर भुगतान	3 माह
15 दिसम्बर	75%	रिटर्न आय पर देय 75% (–) 15 दिसम्बर तक अग्रिम भुगतान	3 माह
15 मार्च	100%	रिटर्न आय पर देय कर का 100% (–)15 मार्च तक अग्रिम कर भुगतान	1 माह

नोट : फिर भी, चालू आय पर अग्रिम कर का भुगतान यदि 15 जून को 12% से कम तथा 15 सितम्बर को 36% में (रिटर्न आय पर) देय कर से कम न हो तो करदाता को कमी की राशि पर उन तिथियों को ब्याज नहीं देना होगा।

(b) **जो करदाता लाभों से आय की घोषणा धारा 44AD(1) धारा 44ADA (1) के अन्तर्गत करते हैं तो उस दशा में धारा 234C में ब्याज की गणना** : उस दशा में जब एक करदाता अपने लाभों की घोषणा धारा 44AD(1) या 44ADA(1) जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार करते हैं जिसे धारा 208 के अन्तर्गत चालू आय पर अग्रिम कर का भुगतान 15 मार्च तक करना है तथा अग्रिम कर भुगतान रिटर्न आय से कम हो तो करदाता को कमी की राशि पर 1% की दर से सरल ब्याज देना होगा।

(c) **कुछ दशाओं में धारा 234C के अन्तर्गत ब्याज का लागू न होना**

धारा 234C के अन्तर्गत रिटर्न आय पर देय कर के भुगतान में कमी के सम्बन्ध में ब्याज देय न होगा जो कम आँकने के कारण या अनुमान की असफलता के कारण से कमी रही हो यदि—

(i) पूँजी लाभ की राशि;

(ii) धारा 2(24) (IX) में सन्दर्भित लॉटरी से आय क्रॉसवर्ड पजल्स की इत्यादि

(iii) 'व्यवसाय व पेशे से लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत आय यदि प्रथम बार उपार्जित या उदय हुई हो;

(iv) **धारा 115BBDA में सन्दर्भित आय प्रकृति की आय अर्थात् गत वर्ष में प्राप्त ₹ 10 लाख से अधिक प्राप्त लाभांश की आय।**

लेकिन करदाता ने (i), (ii), (iii) या (iv) में सन्दर्भित ऐसी आयों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण देय कर का भुगतान कर दिया हो, यदि ये आयें कुल आय का भाग रही हों, अग्रिम कर की देय किस्तों का गतवर्ष के 31 मार्च तक भुगतान कर दिया हो तभी इनके सम्बन्ध में 234C लागू न होगी।

(d) वापसी की आय पर देय कर का अर्थ

© The Institute of Chartered Accountants of India

वापसी की आय पर देय कर से आशय निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत विवरणी में घोषित कुल आय पर कर की गणना को निम्नलिखित द्वारा घटाया जाएगा—

— स्रोत पर कर कटौती या संग्रहण

— धारा 89 के तहत स्वीकृत कोई राहत

— धारा 115JD के प्रावधानों के अनुसार पूर्ति किया जाने वाला स्वीकृत कोई कर जमा।

8. स्रोत पर कर संग्रह—आधारभूत अवधारणा (धारा 206C) [Tax Collection at Source—Basic Concept (Section 206C)]

(1) लागू होना व दरें

(i) धारा 206C (1) के अन्तर्गत माल विक्रेताओं को क्रेताओं से निश्चित दरों पर कर संग्रह करना होता है। स्रोत पर कर संग्रह की निर्दिष्ट दरें निम्न प्रकार हैं :

	माल की प्रकृति	प्रतिशत
(a)	मानव उपभोग हेतु अल्कोहल शराब	1%
(b)	तेन्दू पत्ते	5%
(c)	फोरेस्ट लीज के अन्तर्गत प्राप्त लकड़ी	2.5%
(d)	(c) से भिन्न विधि से प्राप्त लकड़ी	2.5%
(e)	लकड़ी या तेन्दू से भिन्न अन्य कोई उत्पाद	2.5%
(f)	स्क्रैप	1%
(g)	कोयला, लिग्नाइट या लोहा अयस्क खनिज	1%

(ii) उप–धारा (1C) के अनुसार प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो पट्टा या लाइसेंस देता है, कोई अनुबन्ध करता है या अन्य किसी तरीके से निम्न के अधिकार या हित को हस्तांतरित करता है।

पार्किंग लॉट या, टोल प्लाजा या खान या खदान को (सार्वजनिक कम्पनी से भिन्न) इनके व्यावसायिक प्रयोग हेतु अन्य व्यक्ति को देता है, उसे कर संग्रह करना होगा। ऐसे अनुज्ञापनधारी, पट्टाधारी, से 2% की दर से कर संग्रह करना होगा।

(iii) धारा 206(IF) के अनुसार प्रत्येक विक्रेता व्यक्ति को जो ₹ 10 लाख से अधिक मोटर वाहन के विक्रय का प्रतिफल प्राप्त करता है, उसे क्रेता से ऐसे प्रतिफल का 1% कर संग्रह करना होगा।

(2) निश्चित शब्दावली के अर्थ (धारा 206C का स्पष्टीकरण)

	शब्द	अर्थ
(i)	**क्रेता**	**धारा 206C की उपधारा (1) व (1C) के लिए :** एक व्यक्ति जो किसी नीलामी, टेण्डर या अन्य विधि से उपधारा (1) की तालिका में निर्दिष्ट प्रकृति की वस्तु के विक्रय से प्राप्त करने का अधिकार लेता है। जिसमें निम्न शामिल नहीं हैं—

© The Institute of Chartered Accountants of India

		(A) एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी; केन्द्र या राज्य सरकार और एक दूतावास, उच्च आयोग, दूतावास आयोग, वाणिज्य दूतावास तथा विदेशी व्यापारिक प्रतिनिधि तथा क्लब, या (B) व्यक्तिगत उपभोग हेतु उसके द्वारा क्रय वस्तुओं का खुदरा क्रेता **धारा, 206C की उपधारा (1F) के लिए :** निर्दिष्ट वस्तुओं के विक्रय से प्राप्तिकर्ता जिसमें निम्न शामिल नहीं— (A) केन्द्र या राज्य सरकार व दूतावास, हाई कमीशन, दूतावास कमीशन, वाणिज्यिक दूतावास तथा विदेशी सरकार का व्यापारिक प्रतिनिधि, या (B) स्थानीय निकाय, या[6] (C) यात्री ले जाने के व्यवसाय को करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी
(ii)	**विक्रेता**	(i) केन्द्र सरार; या (ii) राज्य सरकार; या (iii) कोई स्थानीय निकाय, या (iv) निगम, या (v) केन्द्र, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम के अधीन स्थापित अधिकरण, या (vi) कम्पनी, या (vii) फर्म, या (viii) सहकारी समिति विक्रेता में व्यक्ति व HUF भी शामिल हैं जिनकी कुल बिक्री, सकल प्राप्तियाँ व व्यवसाय व पेशे के लेन–देन वित्त वर्ष के दौरान धारा 44(a)/(b) के निदिष्ट वित्त वर्ष के अगले वित्त वर्ष में उप–धारा (1) में वर्णित वस्तुएं बेचे जाने से प्राप्तियाँ मौद्रिक सीमा से अधिक हों।
(iii)	**स्क्रैप**	माल के निर्माण या मशीनी क्रिया से प्राप्त रद्दी माल जो उसी रूप में टूट–फूट, कटाई, प्रयोग या अन्य कारणों से प्रयोग योग्य न हो।

[6] धारा 10(20) के स्पष्टीकरण में तथा परिभाषित।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(3) धारा 206C(1F) के सम्बन्ध में कुछ विषयों से सम्बन्धित CBDT का स्पष्टीकरण

धारा 206C में संशोधनों ने इसके प्रावधानों के क्षेत्र व लागू होने के सम्बन्ध में कुछ प्रश्नों को जन्म दिया है। तद्नुसार, CBDT ने परिपत्र सं. 22/2016 दि, 8.6.2016 व परिपत्र सं. 23/2016 दि. 24.6.2016 के द्वारा प्रश्नों के निम्न स्पष्टीकरण "प्रश्न और उत्तर" प्रारूप में दिए हैं।

Q. 1. क्या 1% TCS मोटर वाहन की खुदरा बिक्री के खुदरा स्तर पर हैं या मोटर वाहन के निर्माता से डीलर/वितरक की बिक्री पर भी हैं?

Ans. बड़े मूल्य के सौदों को कर के दायरे में लाने के लिए 206C में संशोधन करके यह व्यवस्था की है कि विक्रेता मोटरवाहन की विक्री पर क्रेता से ₹ 10 लाख से अधिक मूल्य के वाहनों पर 1% कर संग्रह कटेगा। खुदरा बिक्री के समस्त सौदों को शामिल के लिए यह संशोधन लाया गया है। यह निर्माताओं से डीलर/वितरकों को मोटर वाहन की बिक्री पर लागू नहीं होगा।

Q. 2. क्या 1% TCS केवल बड़ी कारों की बिक्री पर ही लागू है?

Ans. नहीं, धारा 206C(1F) के अनुसार, विक्रेता क्रेता से 1% TCS ₹ 10 लाख से अधिक मूल्य की कारों पर लेगा।

Q. 3. क्या 1% TCS सरकारी विभागों, दूतावासों, वाणिज्यिक दूतावासों तथा संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं को मोटर वाहन या अन्य कोई वस्तु या सेवा प्रदान करने तथा विक्रय पर लागू है?

Ans. सरकार, अधिसूचित संस्थाएं (Previleges and Immunities) Act, 1947 दूतावास, वाणिज्यिक दूतावासों, उच्च आयोग, दूतावास आयोग तथा विदेशी सरकार के व्यापारिक प्रतिनिधि 1% TCS के लिए धारा 206C में उत्तरदायी न होंगे।

Q. 4. क्या TCS वाहन की प्रत्येक बिक्री पर लागू है या वर्ष के दौरान सकल विक्रय मूल्य पर?

Ans. 1% TCS ₹ 10 लाख मूल्य से अधिक विक्रय प्रतिफल से संग्रह होना है। यह प्रत्येक बिक्री पर लागू है न कि वर्ष के दौरान सकल बिक्री मूल्य पर।

Q. 5. क्या 1% TCS एक व्यक्ति की दशा में मोटर वाहन के विक्रय पर लागू है?

Ans. विक्रेता की परिभाषा जो स्पष्टीकरण के वाक्य (C) में प्रदत्त 206C की उपधारा 11 में मोटर वाहन की बिक्री की दशा में भी लागू है। तद्नुसार धारा 44AB के प्रावधानों के अनुरूप अंकेक्षण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को जिसने मोटर वाहन पिछले गतवर्ष में बेचा हो उसे बिक्री पर TCS कटना होगा।

Q. 6. उस दशा में जहाँ आंशिक भुगतान नकद व आंशिक चैक से हुआ हो वहाँ TCS के प्रावधान कैसे लागू होंगे?

Ans. ₹ 10 लाख से अधिक बिक्री पर TCS के प्रावधान बिक्री की विधि पर आधारित नहीं हैं। ₹ 10 लाख से अधिक की कोई भी बिक्री 1% TCS संग्रहण योग्य होगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(4) कर–संग्रह का समय [धारा 206(1)/(1C)/(1F)]

कर का संग्रहण क्रेता द्वारा भुगतान योग्य राशि के डेबिट करते समय या अन्य किसी विधि से इस राशि के भुगतान के समय किया जाएगा, जो पहले हो।

₹ 10 लाख से अधिक की मोटर वाहन बिक्री की दशा में, ऐसी राशि की प्राप्ति के समय TCS कटना होगा।

(5) TCS का लागू न होना [धारा 206C (1A)]

निवासी क्रेता की दशा में, यदि वह लिखित में निर्धारित प्रारूप में निर्धारित विधि से यह सत्यापित करे कि धारा 206C(1) में सन्दर्भित वस्तु का प्रयोग निर्माण प्रोसेसिंग या विद्युत उत्पादन के लिए होगा न कि व्यापारिक उद्देश्य से, तो TCS का संग्रहण नहीं होगा।

(6) निर्धारित समय में घोषणा की प्रति जमा करना [धारा 206 C (1B)]

इस धारा के अंतर्गत जो व्यक्ति कर वसूली का जिम्मेदार है वह मुख्य आयुक्त या आयुक्त को उप धारा (1A) में दी गई घोषणा की एक प्रति भेजेगा या भेजने का कारण देगा उसे घोषणा जमा करने के माह के अगले माह की 7 तारीख को या उससे पहले।

(7) निर्धारित अवधि में TCS का भुगतान करना [धारा 206C (3)]

उपधारा (1) या (1C) के अन्तर्गत संग्रहणीय TCS को निर्धारित अवधि के अन्दर केन्द्र सरकार या बोर्ड के निर्देश के अनुरूप भुगतान करना होगा।

केन्द्र सरकार की क्रेडिट में संग्रहणीय TCS के भुगतान की समय सीमा [नियम 37CA]

धारा 206C (1)/(1C) अन्तर्गत कर संग्रहण करने वाला व्यक्ति	परिस्थिति	वह अवधि जिसके अन्दर राशि का भुगतान केन्द्र सरकार में क्रेडिट करना है
1. (सरकारी कार्यालय	(i) जहाँ बिना आय कर चालान प्रस्तुत किए कर का भुगतान होता है।	उसी दिन
	(ii) जहाँ कर का भुगतान आय कर चालान के साथ होना है।	संग्रहण माह के अन्त से 7 दिवस के भीतर
2. सरकारी कार्यालय से भिन्न संग्रहणकर्ता		संग्रहण माह के अन्त के दिवस के एक सप्ताह के अन्दर

नोट : समस्त TCS प्रक्रिया को अगले पृष्ठ पर दिए चित्र से एक नजर में समझ सकते हैं। नियम व प्रारूप का संदर्भ विद्यार्थियों की सूचना के लिए है। लेकिन उन्हें परीक्षा के उद्देश्य से नियमों व प्रारूपों को याद करने की आवश्यकता नहीं है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

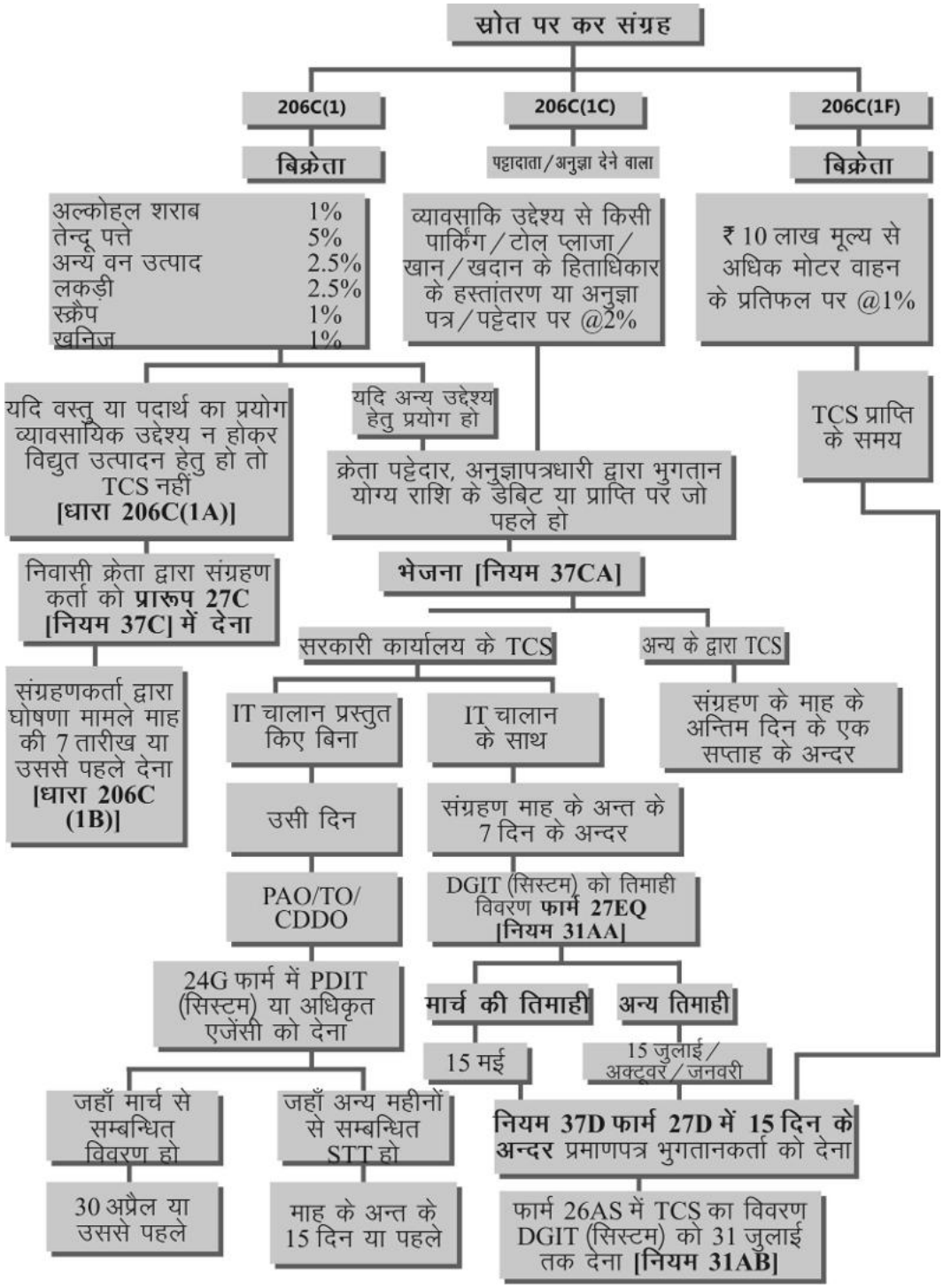

© The Institute of Chartered Accountants of India

(8) TDS व TCS में मुख्य अन्तर

	TDS	TCS
(1)	TDS स्रोत पर आयकर कटौती है।	TCS स्रोत पर संग्रहण है
(2)	भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को निर्धारित दर से स्रोत पर कटौती करनी होगी	कुछ निश्चित वस्तुओं के विक्रेता या सेवाओं के प्रदाता पर क्रेता से स्रोत पर कटौती करने का उत्तरदायित्व है। जो व्यक्ति पार्किंग लॉट/टोल प्लाजा या खान का पट्टा/ लाइसेंस देता है उसे निर्धारित दर पर लाइसेंसी, पट्टाधारी से स्रोत पर कर संग्रह करना होगा।
(3)	सामान्यतः कर कटौती खाते में क्रेडिट या भुगतान पर जो पहले हो, करनी होगी	सामान्यतः कुछ वस्तुओं की बिक्री पर क्रेता द्वारा विक्रेता के खाते में क्रेडिट करने या भुगतान करते समय, जो पहले हो, कर संग्रह करना होगा।
	लेकिन वेतन भुगतान या जीवन बीमा पॉलिसी के सम्बन्ध में भुगतान पर कर कटौती होगी।	लेकिन ₹ 10 लाख से अधिक मूल्य के मोटर वाहन की बिक्री पर कर संग्रहण प्रतिफल की प्राप्ति पर करना होगा।

नोट : TCS पर विस्तृत चर्चा फाइनल लेवल पर होगी।

(9) TDS व TCS हेतु सामान्य संख्या [धारा 203A]

(i) TDS या TCS के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के यहाँ कर कटौती या कर संग्रह संख्या के आबटन हेतु आवेदन करना होगा।

(ii) धारा 203A(2) में उन दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों/विवरणी/चालानों की सूची है। जिनमें TDS संख्या या TCS संख्या या TCS संख्या या TDS व TCS संख्या को अंकित करना है। वे हैं—

(a) धारा 200 धारा 206C (3) के प्रावधानों के अनुरूप किसी राशि के भुगतान हेतु चालान;

(b) धारा 203 या धारा 206C(3) के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रमाणपत्र;

(c) धारा 200(3) या धारा 206C(3) के प्रावधानों के अनुरूप तैयार विवरणों को सौंपना या सौंपने की व्यवस्था करना;

(d) धारा 206 या धारा 206C (5B) के प्रावधानों के अनुरूप रिटर्न सौंपना और

(e) राजस्व के हित में निर्धारित लेन–देनों से सम्बन्धित सभी प्रलेखों में

(iii) धारा 203A के अन्तर्गत TAN प्राप्त करने व उसे अंकित करने की आवश्यकता ऐसे व्यक्ति पर लागू न होगी। जिसे इस सन्दर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

अभ्यास
(EXERCISE)

प्रश्न (Question) **1**

निर्माता व थोक व्यापारी आश्विन आपको निम्न सूचनाएं प्रदान करते हैं, वित्त वर्ष की कुल बिक्री

विवरण	*₹*
2018-19	*2,05,00,000*
2019-20	*95,00,000*

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान निम्न व्ययों के सम्बन्ध में TDS प्रावधानों के लागू होने सम्बन्धी जाँच कीजिए।

विवरण	*₹*
UCO बैंक को भुगतान ब्याज	*41,000*
Raj को अनुबन्ध भुगतान (₹ 12,000 के 2 अनुबन्ध)	*24,000*
दुकान का किराया (एक प्राप्तकर्ता)	*1,90,000*
बालू को कमीशन	*7,000*

उत्तर (Answer)

क्योंकि वित्त वर्ष 2018-19 की आश्विन की बिक्री ₹ 205 लाख की है जो धारा 44AB में निर्धारित ₹ 100 लाख से अधिक है, अतः उसे वित्त वर्ष 2019-20 में TDS प्रावधानों की अनुपालना करनी होगी, लेकिन TDS लागू होने की छूट के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना होगा।

UCO बैंक को ब्याज भुगतान

धारा 194A अन्तर्गत बैंकिंग कम्पनी को ब्याज भुगतान पर TDS लागू नहीं है।

राज को 2 अनुबन्धों (प्रत्येक ₹ 12,000) के ₹ 24,000 के भुगतान पर

धारा 194C के अन्तर्गत अनुबन्ध के भुगतान पर TDS तभी लागू होगा जब अकेला भुगतान ₹ 30,000 से अधिक तथा वित्त वर्ष में ठेकेदार को सकल भुगतान ₹ 1,00,000 से अधिक हो। इस दशा में 194C के प्रावधान लागू नहीं हैं।

एक प्राप्त को भुगतान दुकान किराया : धारा 194-I में TDS होगा क्योंकि किराए का भुगतान ₹ 2,40,000 से अधिक है।

बालू को भुगतान कमीशन : 194-H में कोई TDS नहीं होगा क्योंकि कमीशन ₹ 15,000 से अधिक नहीं है।

प्रश्न (Question) **2**

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुरूप S Ltd. द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 में किए गए भुगतानों पर TDS की राशि की गणना कीजिए।

© The Institute of Chartered Accountants of India

क्र. सं.	*तिथि*	*भुगतान की प्रकृति*
(i)	*1-10-2019*	*एक वाहन चालक R को ₹ 2 लाख का भुगतान जिस पर पूर्ण वित्त वर्ष में 8 माल वाहन हैं तथा PAN के साथ घोषणा भी करता है।*
(ii)	*1-11-2019*	*श्याम जिसके पास PAN है उसे तकनीकी सेवाओं के ₹ 25,000 तथा रॉयल्टी ₹ 20,000 का भुगतान*
(iii)	*30-06-2019*	*भवन की मरम्मत के X Ltd. को ₹ 25,000 का भुगतान*
(iv)	*1-01-2020*	*M/S X Ltd के मानकों के अनुरूप A को डायरी के क्रय के लिए ₹ 2 लाख का भुगतान लेकिन S लि. ने A को कोई सामान की पूर्ति नहीं की।*
(v)	*01-01-2020*	*भारत को मकान के अनिवार्य अधिग्रहण पर राज्य सरकार के कानून के अनुसार ₹ 1,80,000 का भुगतान*
(vi)	*01-02-2020*	*Y को ₹ 14,000 का कमीशन*

उत्तर (Answer)

(i) No tax is required to be deducted at source under section 194C by M/s S Ltd. On payment to transporter Mr. R, since he satisfies the following conditions :

(1) गतवर्ष में उसके पास केवल 8 माल वाहन हैं।

(2) वह माल वाहनों के परिचालन, किराए या पट्टे के व्यवसाय में है।

(3) उसने PAN के साथ इस आशय की घोषणा कर दी है।

(ii) 194J के अनुसार TDS कटने का उत्तरदायित्व तब उत्पन्न होगा जब तकनीकी सेवाओं व रॉयल्टी का भुगतान वित्तीय वर्ष में ₹ 30,000 से अधिक हो। प्रदत्त मामले में अलग–अलग भुगतान ₹ 25,000 व ₹ 20,000 , ₹ 30,000 से कम हैं, अतः TDS कटना आवश्यक नहीं। यह माना गया है कि तकनीकी सेवा व रॉयल्टी का कोई अन्य भुगतान श्याम को नहीं हुआ।

(iii) धारा 194C के TDS प्रावधान इस मामले में लागू नहीं क्योंकि X लि. को 30.6.2019 को भुगतान ₹ 30,000 की सीमा रेखा से कम है।

(iv) 194C के अनुसार 'कार्य' की परिभाषा में ग्राहक के मानकों के आनुसार उत्पाद का निर्माण या पूर्ति नहीं आता उस दशा में जब कच्चा माल ग्राहक से खरीदा गया हो। अतः A को ₹ 2 लाख का भुगतान TDS में नहीं आता क्योंकि ठेका 'विक्रय' का है।

(v) धारा 194LA में कोई व्यक्ति यदि अनिवार्य अधिग्रहण पर किसी राशि का भुगतान करता है तो TDS का उत्तरदायित्व ₹ 2.5 लाख से अधिक के भुगतान पर उत्पन्न होता है। इस मामले में TDS नहीं होगा क्योंकि भुगतान राशि ₹ 2.5 लाख से कम है।

(vi) 194H के अन्तर्गत कमीशन यदि दलाली की राशि पर 5% TDS तब होगा। जब वित्त वर्ष की क्रेडिट या भुगतान राशि ₹ 15,000 से अधिक हो।

क्योंकि Y को कमीशन का भुगतान ₹ 15,000 से अधिक नहीं है, अतः 194H के प्रावधान लागू न होंगे।

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रश्न (Question) **3**

निम्न दशाओं में TDS प्रावधानों के लागू होने व TDS राशि निकालिए :

(a) B लि. द्वारा मशीनरी किराये पर लेने के रमन को ₹ 2,60,000 भुगतान

(b) सुन्दर (HUF) ने डॉ. श्रीवास्तव को अपने परिवार के सदस्य की सर्जरी के लिए ₹ 35,000 की फीस 1.12.2019 को भुगतान की।

(c) ABC कम्पनी ने अपने एक निर्देशक को 1.01.2020 को ₹ 19,000 फीस दी।

उत्तर (Answer)

(a) क्योंकि मशीनरी के किराये के लिए भुगतान ₹ 2,40,000 से अधिक है अतः धारा 194-I के अधीन TDS होगा।

TDS की दर 2% यह मानते हुए कि रमन ने अपना PAN B को दे दिया है। अतः TDS की राशि ₹ 2.6 लाख × 2% = ₹ 5,200

नोट : यदि रमन अपना PAN B को नहीं देता है तो ₹ 2.6 लाख पर TDS 20% की दर से होगा। (धारा 206AA)

(b) धारा 194J के प्रावधानों के अनुसार, एक हिन्दू अविभाजित परिवार को केवल व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान की गई फीस पर स्रोत पर कर काटने की आवश्यकता होती है, यदि कुल बिक्री, सकल प्राप्तियां या बिक्री व्यवसाय या पेशे के रूप में ₹ 1 करोड़ या ₹ 50 लाख से अधिक हो, जैसा भी मामला है/हो सकता है, चालू वित्तीय वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष में और पेशेवर सेवाओं के लिए किया गया ऐसा भुगतान विशेष रूप से हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य के निजी उद्देश्य के लिए नहीं हैं।

धारा 194M, 1.9.2019 से प्रभावी, पेशेवर सेवा के लिए फीस के संबंध में एक HUF (जो धारा 194J के तहत स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता नहीं है) द्वारा स्रोत पर कर की कटौती का प्रावधान करता है। इस तरह की राशि वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 50 लाख से अधिक है।

दिए गए मामले में, डॉ श्रीवत्सन को पेशेवर सेवा के लिए शुल्क का भुगतान एक निजी उद्देश्य के लिए 1.12.2019 को किया जाता है, इसलिए यदि भुगतान का कुल भुगतान या भुगतान पूर्व वर्ष 2019-20 में ₹ 50 लाख से अधिक हो जाता है, तो धारा 194M लागू होगी। हालांकि इस मामले में भुगतान ₹ 50 लाख से अधिक नहीं है, इसलिए धारा 194M के तहत स्रोत पर कर घटाने की देयता है।

(c) धारा 194J किसी भी पारिश्रमिक या फीस या कमीशन के माध्यम से भुगतान किए गए स्रोत पर कर का 10% का प्रावधान करता है, जो किसी भी नाम से, एक निवासी निदेशक को, जो कि वेतन की प्रकृति का नहीं है, जिस पर धारा 192 के तहत कर घटाया जाता

© The Institute of Chartered Accountants of India

है। ₹ 30,000 तक की सीमा जो स्रोत पर कर कटौती का प्रावधान नहीं है, 194J के तहत कवर किए गए हर दूसरे भुगतान के संबंध में आकर्षित नहीं होती है। हालांकि, एक निदेशक को भुगतान की गई राशि के संबंध में लागू नहीं होती है। इसलिए, एबीसी लिमिटेड के द्वारा अपने निदेशक को भुगतान किए गए ₹ 19,000 की राशि पर धारा 194J के तहत 10% की दर से स्रोत पर कर की कटौती करनी होगी।

प्रश्न (Question) **4**

निम्न दशाओं में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए TDS प्रावधानों के लागू होने, उसकी दर व राशि की जाँच कीजिए।

(1) भारतीय समाचार एजेंसी ने 2.7.2019 को जैक्स कालिस, एक साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर को उसके समाचार पत्र में लेख लिखने के ₹ 27,000 भुगतान किए।

(2) एक कम्पनी ने उप–ठेकेदार को ₹ 3 लाख का भुगतान किया था जिसका 31.3.2020 को ₹ 1,20,000 शेष उधार था।

(3) घुड़दौड से जीत ₹ 1,50,000 ।

(4) 22.02.2020 को A निवासी व्यक्ति को U.P सरकार ने बाहरी भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण पर ₹ 2 लाख का भुगतान किया।

उत्तर (Answer)

(1) धारा 194E यह प्रदान करती है कि किसी अनिवासी खिलाड़ी को किसी भी राशि के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, किसी समाचार पत्र के लिए भारत में किसी भी गेम या खेल से सम्बन्धित लेखों के योगदान के लिए 20% की दर से स्रोत पर कर काटना होगा। आगे, जैक्स कैलिस, एक दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर, एक अनिवासी है : TDS पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @4% भी जोड़ा जाना चाहिए।

इसलिए कर की गणना = ₹ 27,000 × 20.80% = **₹ 5,616।**

(2) धारा 194C के अन्तर्गत दिये गये स्रोत पर कर कटौती के प्रावधान उप ठेकेदार को कम्पनी द्वारा दिये गये भुगतान पर लगेंगे। धारा 194C के अन्तर्गत कर की कटौती जमा या भुगतान, जो भी पहले हो, पर काटी जायेगी 1% पर जब व्यक्ति या HUF को भुगतान किया जायेगा तथा 2% पर अन्य को।

कम्पनी द्वारा उप–ठेकेदार को भुगतान पर 194C के अनुसार TDS होगा। यह मानते हुए कि सकल राशि, ₹ 4,20,000 है अतः TDS की राशि ₹ 4,20,000 × 1% = **₹ 4,200** होगी।

(3) धारा 194BB के अंतर्गत, कर की कटौती सोत पर होगी यदि घुड़ दौड़ से हुई जीत ₹ 10,000 से अधिक है। सोत पर कर कटौती की दर 30% है यह मानकर की जीत का भुगतान निवासी को हुआ है। यथा 4% का स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपकर 30% की कर दर में नहीं जुड़ा है।

अतः कर कटौती = ₹ 1,50,000 × 30% = **₹ 45,000**

© The Institute of Chartered Accountants of India

(4) इस मामले में धारा 194LA के अन्तर्गत सरकार द्वारा किसी कानून के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण की राशि 10% TDS होगा। यदि सकल राशि एक वित्त वर्ष में ₹ 2.5 लाख से अधिक हो इस दशा में कोई TDS काटना नहीं है क्योंकि भुगतान की राशि ₹ 2.5 लाख से कम है।

प्रश्न (Question) **5**

संक्षेप में पूँजी लाभ से उत्पन्न अग्रिम कर से सम्बन्धित प्रावधानों व आकस्मिक आय पर अग्रिम कर के प्रावधानों को बताइए।

उत्तर (Answer)

धारा 234C के प्रावधान में पूँजीगत लाभ तथा अनौपचारिक आय से संबंधित अग्रिम कर के भुगतान के प्रावधान सम्मिलित हैं।

कर निर्धारिती द्वारा उसकी कुल आय पर अग्रिम कर देने योग्य है जिसमें पूँजीगत लाभ तथा अनौपचारिक आय जैसे कि लॉटरी, वर्ग पहेली आदि से आय सम्मिलित हैं।

क्योंकि यह कर निर्धारिती के लिए मुमकिन नहीं है कि वह पूँजीगत लाभ या लॉटरी से हुई आय आदि को अनुमानित कर सके तो यह बताया गया है कि यदि इस प्रकार की कोई आय किसी किस्त की देय तिथि के बाद उत्पन्न होती है तो पूँजीगत लाभ या अनौपचारिक आय पर देन योग्य कर की राशि (स्रोत पर कर कटौती को ध्यान में रखने हुए) देने योग्य अग्रिम कर बची किस्तों में भुगतान की जाएगी।

यदि कोई किस्त देने योग्य नहीं है तो उचित वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक पूरे कर का भुगतान करना होगा।

यदि पूरे ऋण का भुगतान हो जाता है तो भुगतान में देरी पर ब्याज ऋण उत्पन्न नहीं होगा।

नोट : In case of causal income the entire tax liability is fully deductible at source @ 30% under section 194B and 194BB. Therefore, advance tax liability would arise only if the surcharge. If any, and health and education cess@4% in respect thereof, along with tax liability in respect of other income, if any, is ₹ 10,000 or more.

© The Institute of Chartered Accountants of India

आओ दोहराएं
(LET US RECAPITULATE)

I. स्रोत पर कर कटौती

धारा	भुगतान का विवरण	स्रोत पर कर कटौती की देहली सीमा	भुगतानकर्त्ता	प्राप्तिकर्ता	TDS दर	कटौती का समय
192	वेतन	मूल पर छूट सीमा (₹ 2,50,000 (₹ 3,00,000) जो भी स्थिति हो) यह आयकर की औसत दर की गणना में ध्यान रखा जाएगा।	वेतन शीर्षक के भीतर आदेय आय को देने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति	व्यक्ति (कर्मचारी)	लागू दर के आधार पर गणित की गई औसत आयकर दर	भुगतान के समय
192A	कर्मचारी सेवा निधि से समय से पहले राशि निकालना	भुगतान या कुल भुगतान ≥ ₹ 50,000	EPF योजना का प्रबंधक या योजना के अंतर्गत अधिकृत व्यक्ति	व्यक्ति (कर्मचारी)	10%[PAN जमा ने करने की स्थिति पर TDS @ अधिकतम अत्यल्प दर	भुगतान के समय
193	बहुमूल्य कागज पर ब्याज	वित्तीय वर्ष में > ₹ 10,000 बचत ऋणपत्र (कर योग्य) 2003, पर 8% की स्थिति में।	बहुमूल्य कागज पर ब्याज के रूप में आय देने वाला व्यक्ति	कोई भी निवासी	10%	प्राप्तिकर्त्ता के खाते में आय जमा करने या भुगतान के समय, जो भी जल्दी हो

© The Institute of Chartered Accountants of India

धारा	भुगतान का विवरण	स्रोत पर कर कटौती की देहली सीमा	भुगतानकर्त्ता	प्राप्तिकर्ता	TDS दर	कटौती का समय
		बचत (करयोग्य) ऋणपत्र, 2018 पर 7.75% की स्थिति में। वित्तीय वर्ष में ₹ 5,000 कम्पनी द्वारा जारी उधार पत्र के ब्याज की स्थिति में, जहाँ लोगों की मुख्य रुचि हो, व्यक्ति या HUF को अदाता खाता चेक द्वारा भुगतान या जमा किया हो। अन्य स्थिति में देहली सीमा नहीं है।				
194A	बहुमूल्य कागज पर ब्याज को छोड़कर अन्य ब्याज	वित्तीय वर्ष में > ₹ **40,000** ब्याज को जमा या भुगतान किया गया हो– (i) बैंकिंग कम्पनी, (ii) सहकारी संस्था जो बैंकिंग व्यापार में हो तथा (iii) अधिसूचित योजना के अंतर्गत जमा पर डाक घर द्वारा	कोई भी व्यक्ति (वह व्यक्ति या HUF जिसकी कुल बिक्री सकल प्राप्ति या व्यापार या पेशे से हुई बिक्री वित्तीय वर्ष से तुरंत पहले, के वर्ष में धारा 44AB की निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है उन्हें	कोई भी निवासी	10%	प्राप्तिकर्ता के खाते में आय जमा करने या भुगतान के समय जो भी जल्दी हो।

© The Institute of Chartered Accountants of India

धारा	भुगतान का विवरण	स्रोत पर कर कटौती की देहली सीमा	भुगतानकर्ता	प्राप्तिकर्ता	TDS दर	कटौती का समय
		उपर्युक्त सभी स्थितियों में प्राप्तिकर्ता यदि निवासी वरिष्ठ नागरिक है। कर कटौती सीमा > ₹ 50,000 अन्य स्थिति में वित्तीय वर्ष में > ₹ 5,000	छोड़कर) जो बहुमूल्य कागज पर ब्याज को छोड़कर अन्य ब्याज का भुगतान करें			
194B	लॉटरी, वर्ग पहेली या पत्ते का खेल या इस प्रकार के अन्य खेल से जीत	> ₹ 10,000	जीत के रूप में आय का भुगतान करने वाला व्यक्ति	कोई भी व्यक्ति	30%	भुगतान के समय
194BB	घुड़दौड़ से जीत	> ₹ 10,000	सट्टेबाज या घुड़दौड़ के लिए अनुज्ञप्ति लिया व्यक्ति या दौड़ में शर्तें या बाजी लगवाने वाला व्यक्ति	कोई भी व्यक्ति	30%	भुगतान के समय

© The Institute of Chartered Accountants of India

धारा	भुगतान का विवरण	स्रोत पर कर कटौती की देहली सीमा	भुगतानकर्त्ता	प्राप्तिकर्ता	TDS दर	कटौती का समय
194C	ठेकेदार को भुगतान	एक राशि जमा या भुगतान ≥ ₹ 30,000 या ठेकेदार को वित्तीय वर्ष में जमा या भुगतान राशि > ₹ 1,00,000 यदि राशि को जमा या भुगतान पूर्णतः व्यक्तिगत रूप के लिए किया गया है तो व्यक्ति/HUF को कर कटौती की जरूरत नहीं।	केंद्रीय सरकार राज्य सरकार स्थानीय शासन केन्द्रीय/राज्य स्थानीय/प्रात संघ, कम्पनी, फर्म, संघ, पंजीकृत संस्था, सहकारी संस्था, केंद्रीय राज्य/प्राप्त कानून के अंतर्गत बनाया गया महाविद्यालय UGC कानून के अंतर्गत घोषित करा हुआ महाविद्यालय, विदेशी राज्य की सरकार, या विदेशी उद्यम पूर्व वित्तीय वर्ष में धारा 44AB (a)/(b) में कर परीक्षण के अधीन व्यक्ति/HUF	कोई भी निवासी ठेकेदार जो कोई भी कार्य करता हो (जिसमें मजदूर की आपूर्ति शामिल प्राप्त है।	यदि प्राप्तिकर्ता व्यक्ति या HUF है तो जमा या भुगतान राशि का 1% अन्य व्यक्ति को जमा या भुगतान पर 2%	ठेकेदार के खाते में राशि जमा या भुगतान के समय जो भी पहले हो
194D	बीमा कमीशन	वित्तीय वर्ष में > ₹ 15,000	कोई भी व्यक्ति जो सुरक्षा व्यापार में वेतन या प्रार्थना या प्राप्त करने के लिए दिए गए	कोई भी निवासी	5%	प्राप्तिकर्त्ता के खाते में राशि–को जमा या भुगतान करने के समय, जो भी पहले हो।

धारा	भुगतान का विवरण	स्रोत पर कर कटौती की देहली सीमा	भुगतानकर्त्ता	प्राप्तिकर्ता	TDS दर	कटौती का समय
			प्रतिफल को देने के लिए जिम्मेदार हो।			
194DA	जीवन बीमा योजना के अंतर्गत कोई राशि	>, ₹ 1,00,000 (वित्तीय वर्ष में प्राप्तिकर्ता को भुगतान की गई कुल राशि)	कोई भी व्यक्ति जो LIP के अंतर्गत राशि देने के लिए जिम्मेदार है जिसमें लाभ के रूप में बाँटी गई राशि सम्मिलित है।	कोई भी निवासी	1% [5% of the amount of income comprised w.e.f. 1.9.2019]	भुगतान के समय
194E	धारा 115BBA के अंतर्गत आय को अनिवासी खिलाड़ी या खेल संघ को भुगतान करना		भुगतान के लिए जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति	अनिवासी खिलाड़ी (पहलवान शामिल) या मनोरंजनकर्त्ता जो भारत का निवासी नहीं है या अनिवासी खेल संघ या संस्था	20%	प्राप्तिकर्त्ता के खाते में आय को जमा या भुगतान के समय जो भी पहले हो।
194EE	राष्ट्रीय बचत योजना में जमा राशि का भुगतान	वित्तीय वर्ष में ≥ ₹ 2,500	भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति	व्यक्ति या HUF	10%	भुगतान के समय

© The Institute of Chartered Accountants of India

धारा	भुगतान का विवरण	स्रोत पर कर कटौती की देहली सीमा	भुगतानकर्ता	प्राप्तिकर्ता	TDS दर	कटौती का समय
194G	लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन	वित्तीय वर्ष में > ₹ 15,000	कोई भी व्यक्ति जो लॉटरी टिकट पर कमीशन या वेतन या ईनाम (जो भी नाम ले) के रूप में आय देने को जिम्मेदार है।	वह व्यक्ति जो लॉटरी टिकट रखता, बाँटता, खरीदता या बेचता है।	5%	प्राप्तिकर्ता के खाते में आय को जमा या भुगतान के समय जो भी पहले हो।
194H	कमीशन या दलाली	वित्तीय वर्ष में > ₹ 15,000	कोई भी व्यक्ति (वह व्यक्ति या HUF जिसकी कुल बिक्री, सकल प्राप्ति या व्यापार या पेशे से हुई बिक्री वित्तीय वर्ष से तुरंत पहले के वर्ष में धारा 44AB की निर्धारिती सीमा से अधिक नहीं है, उन्हें छोड़कर) जो कमीशन या दलाली के भुगतान के लिए जिम्मेदार है।	कोई भी निवासी	5%	प्राप्तिकर्ता के खाते में आय जमा या भुगतान करने के समय जो भी पहले हो।
194-I	किराया	वित्तीय वर्ष में > ₹ **2,40,000**	कोई भी व्यक्ति (वह व्यक्ति / HUF, जिसकी कुल बिक्री सकल प्राप्ति या	कोई भी निवासी	**P&M** या उपकरण के लिए 2% जमीन,	प्राप्तिकर्ता के खाते में आय जमा या भुगतान के समय जो भी पहले

© The Institute of Chartered Accountants of India

धारा	भुगतान का विवरण	स्रोत पर कर कटौती की देहली सीमा	भुगतानकर्ता	प्राप्तिकर्ता	TDS दर	कटौती का समय
			व्यापार या पेशे में हुई बिक्री वित्तीय वर्ष से तुरंत पहले के वर्ष में धारा 44AB की निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है उन्हें छोड़कर) किराया भुगतान करने के लिए जिम्मेदार।		भवन या भवन से जुड़ी जमीन, फर्नीचर या फिटिंग के लिए 10%	हो
194IA	विशिष्ट अचल सम्पत्ति के समर्पण पर किया गया भुगतान खेती जमीन को छोड़कर	≥ ₹ 50 लाख (समर्पण का प्रतिफल)	अंतरिती के रूप में कोई भी व्यक्ति (अचल सम्पत्ति का अनिवार्य अधिकृत करने के लिए व्यक्ति द्वारा प्रतिफल जो धारा 194 LA में बताया गया है उन्हें छोड़कर	निवासी अंतरणकर्ता	1%	अंतरिती के खाते में राशि को जमा या भुगतान करने के समय जो भी पहले हो
194-IB	विशिष्ट व्यक्ति या HUF द्वारा	> ₹ 50,000 माह या उसके भाग के लिए	कोई भी व्यक्ति (वह व्यक्ति/HUF जिसकी	कोई भी निवासी	5%	किराया जमा करने के समय, पूर्व वर्ष के

© The Institute of Chartered Accountants of India

धारा	भुगतान का विवरण	स्रोत पर कर कटौती की देहली सीमा	भुगतानकर्त्ता	प्राप्तिकर्ता	TDS दर	कटौती का समय
	किराए का भुगतान		कुल बिक्री, सकल प्राप्ति, या व्यापार, या पेशे में हुई बिक्री वित्तीय वर्ष से तुरंत पहले के वर्ष में धारा 44AB की निर्धारिती सीमा से अधिक है उन्हें छोड़कर) जो किराया देने के लिए जिम्मेदार है।			आखिरी माह के लिए या सम्पत्ति वर्ष के दौरान खाली कर दी जाती है तो किरायदारी के आखिरी माह के लिए जो भी स्थिति, या प्राप्तिकर्ता को भुगतान के समय जो भी पहले हो।
194-IC	धारा 45(5A) में दिए गए विशिष्ट इकरार के अंतर्गत किया गया भुगतान	कोई देहली सीमा नहीं दी गई	कोई भी व्यक्ति जो प्रतिफल देने के लिए जिम्मेदार है, परन्तु वह पंजीकृत इकरार में किसी वस्तु के रूप में प्रतिफल नहीं होना चाहिए, जहाँ C & B को भूमि भवन परियोजना के लिए स्वामी द्वारा प्रतिफल के लिए दे दिया जाए	कोई भी निवासी	10%	प्राप्तिकर्ता के खाते में आय के जमा या भुगतान के समय जो भी पहले हो।

© The Institute of Chartered Accountants of India

धारा	भुगतान का विवरण	स्रोत पर कर कटौती की देहली सीमा	भुगतानकर्त्ता	प्राप्तिकर्ता	TDS दर	कटौती का समय
			जिसमें प्रतिफल का कुछ भाग नकद में तथा कथित परियोजना में L या B या दोनों, का हिस्सा प्राप्त हो			
194J	पेशे/तकनीकी सेवा/राजस्व /गैर प्रतिस्पर्धा शुल्क/प्रबंधक वेतन	वित्तीय वर्ष में प्रत्येक भाग के लिए > ₹ 30,000 हालांकि यह सीमा कम्पनी के प्रबंधक को दिए भुगतान पर लागू नहीं होती।	कोई भी व्यक्ति या HUF को छोड़कर हालांकि, पेशे या तकनीकी सेवा के लिए भुगतान या जमा किया गया शुल्क, व्यक्ति या HUF जिसकी कुल बिक्री, सकल प्राप्ति या उसके द्वारा किए गए व्यापार या पेशे से कुल बिक्री वित्तीय वर्ष के तुरंत पहले के वर्ष में धारा 44AB की निर्धारित सीमा से अधिक है तो वह धारा 194J में कर की कटौती करेगा परन्तु	कोई भी निवासी	कॉल सेंटर को चलाने के व्यापार में व्यस्त प्राप्तिकर्ता **2%** अन्य **10%**	प्राप्तिकर्ता के खाते में राशि के जमा या भुगतान होने के समय–जो भी पहले हो।

© The Institute of Chartered Accountants of India

धारा	भुगतान का विवरण	स्रोत पर कर कटौती की देहली सीमा	भुगतानकर्ता	प्राप्तिकर्ता	TDS दर	कटौती का समय
			तब नहीं शुल्क पेशा सेवा शुल्क पूर्णतः व्यक्तिगत उपयोग के लिए जमा या भुगतान किया गया हो।			
194LA	खेती जमीन के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट अचल सम्पत्ति को अनिवार्य अधिकृत करने के लिए दी गई क्षतिपूर्ति	वित्तीय वर्ष में > ₹ 2,50,000		कोई भी निवासी जो अधिकृत सम्पत्ति का क्षतिपूर्ति या बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा।	10%	भुगतान के समय
194M (*w.e.f.* 1 सितम्बर 2019)	— ठेकेदार को भुगतान — दलाल को कमीशन — पेशेवर सेवाओं के लिए फीस	एक वित्तीय वर्ष में > ₹ 50,00,000	धारा 194C या धारा 194H या 194 के तहत स्रोत पर कर की कटौती करने के योग्य के अलावा व्यक्ति या HUF	कोई निवासी	5%	भुगतानकर्ता के खाते में ऐसी राशि के क्रेडिट के समय या भुगतान के समय जो भी पहले हो

© The Institute of Chartered Accountants of India

धारा	भुगतान का विवरण	स्रोत पर कर कटौती की देहली सीमा	भुगतानकर्त्ता	प्राप्तिकर्ता	TDS दर	कटौती का समय
194N (w.e.f. 1 सितम्बर, 2019)	नकद आहरण	> 1 ₹ करोड़	— एक बैंकिंग कम्पनी या बैंक या बैंकिंग संस्था — बैंकिंग के व्यवसाय चलाने वाली एक सहकारी समिति — एक डाकघर	कोई व्यक्ति	₹ 1 करोड़ से अधिक राशि का 2%	ऐसी राशि के भुगतान के समय पर

नोट :

(1) धारा 206AA डिडक्टी द्वारा PAN को डिडक्टर को जमा करना होगा जिसे न करने पर डिडक्टर निम्नलिखित में से ज्यादा दर पर की कटौती करेगा–

(i) आयकर कानून 1961 के प्रावधान में निर्धारित दर या

(ii) लागू दर या दरें, या

(iii) 20% की दर

(2) सूची (3) में दी हुई देहली सीमा प्रत्येक प्राप्तिकर्ता पर लागू होगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

II कर का अग्रिम भुगतान (Advance payment of tax)

अग्रिम कर के भुगतान की देयता (धारा 207 तथा 208)

- किसी भी वित्तीय वर्ष में कर निर्धारिती की कुल आय के संबंध में कर अग्रिम रूप में दिया जा सकता जो वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद के A.Y में कर आदेय होगा।
- वित्तीय वर्ष में अग्रिम कर हर स्थिति में दयनीय होगा जहाँ कर निर्धारिती द्वारा देयनीय कर मूल्य (TDS/TCS घटाने के बाद) वर्ष में ₹ 10,000 या उससे अधिक होगा।
- हालांकि, पूर्व वर्ष के समय निवासी व्यक्ति की उम्र आदि 60 वर्ष या उससे अधिक है जिसकी व्यापार या पेशे से मुनाफे तथा लाभ" शीर्षक के भीतर कोई भी आय आदेय नहीं है तो वह अग्रिम कर के भुगतान के लिए देयनीय नहीं है।

अग्रिम कर (Advance Tax)

निगमित व गैर–निगमित करदाताओं हेतु अग्रिम कर सूची (धारा 44AD या 44ADA के अन्तर्गत पात्र व्यवसाय के सम्बन्ध में पात्र करदाता से भिन्न)

किस्त की नियत तिथि	भुगतान योग्य राशि
15 जून या इससे पूर्व	अग्रिम कर का कम से कम 15%
15 सितम्बर या पूर्व	अग्रिम कर के 45% में से पूर्व की भुगतान (–) किस्त घटाकर
15 दिसम्बर या पूर्व	अग्रिम कर के 75% में से पूर्व में भुगतान (–) किस्त घटाकर
15 मार्च या पूर्व	अग्रिम कर की सम्पूर्ण राशि में से पूर्व की (–) किस्तें घटाकर

धारा 44AD(1) या धारा 44ADA के अन्तर्गत अनुमानित आधार पर लाभों की गणना के पात्र करदाता 15 मार्च तक भुगतान करें।

धारा 44AD(1) में संदर्भित व्यवसाय के लाभों का अनुमानित आधार पर गणना के विकल्प का चयन करने वाले करदाता या धारा 44AD(1) में संदर्भित पेशे के लाभों की अनुमानित आधार पर गणना के पात्र करदाताओं को अग्रिम कर की सम्पूर्ण राशि का भुगतान 15 मार्च तक करना होगा।

तथापि, 31 मार्च तक अग्रिम भुगतान की राशि को 15 मार्च तक भुगतान के रूप में माना जाएगा।

अग्रिम कर का भुगतान करने या न्यून भुगतान पर ब्याज (धारा 234B)

(1)	धारा 234B के अन्तर्गत अग्रिम कर का भुगतान करने या निर्धारित करके 90% से कम भुगतान पर ब्याज देय होगा।
(2)	ब्याज की राशि प्रति माह या उसके भाग के लिए 1% होगी जो 1 अप्रैल से धारा 143(1) अन्तर्गत आय के निर्धारण तिथि तक देय होगी।
(3)	ब्याज की गणना निर्धारित कर तथा अग्रिम कर के अन्तर की राशि पर की जाएगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(4)	"निर्धारित कर" से आशय नियमित निर्धारण के तहत/धारा 143(1) के तहत निर्धारित कुल आय पर कर जैसा भी मामला हो, TDS और TCS, धारा 89 के तहत स्वीकृत कर की कोई राहत, धारा 115JD के प्रावधानों के अनुसार पूर्ति किए जाने वाले स्वीकृत किसी कर द्वारा घटाया जाएगा।
(5)	धारा 140A या अन्य में निर्धारिती द्वारा स्वतः निर्धारण कर का भुगतान किया गया हो तो ब्याज की गणना कर के भुगतान तिथि तक जाएगी तथा इस धारा के भीतर आदेय ब्याज के लिए यदि 140A में भुगतान किया गया है तो वह ब्याज घटाई जाएगी।

अग्रिम कर के स्थगन पर ब्याज (धारा 234C) [Interest for deferment of advance tax (Section 234C)**]**

(a) **निगमित व गैर निगमित करदाताओं द्वारा अग्रिम कर के स्थगन पर ब्याज की गणना विधि** [Manner of computation of interest u/s 234C for deferment of advance tax by corporate and non-corporate assesses :]

धारा 44AD(1) या धारा 44ADA (1) के प्रावधान के अनुसार मुनाफे तथा लाभ को घोषित करने वाले निर्धारिती के अरिरिक्त जो निर्धारिती धारा 208 के भीतर अग्रिम कर के भुगतान के लिए देयनीय है वह कर का भुगतान नहीं करता या अपनी आय पर सूची (1) में निर्धारिती तिथि पर या पहले कर का भुगतान करता है जो विवरण/पर आय पर कर की विस्तृत प्रतिशत (सूची (2) में दी हुई) से कम है, तब सूची (3) में दी हुई कम राशि पर सूची (4) में दी विस्तृत अवधि अनुसार 1% प्रति माह की ब्याज धारा 234C में लगाई जाएगी।

निर्दिष्ट तिथि	निर्दिष्ट%	अग्रिम कर भुगतान में कमी	अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
15 जून	15%	रिटर्न आय-पर देय कर का 15% 15- जून तक अग्रिम कर भुगतान का 15%	3 माह
15 सितम्बर	45%	रिटर्न आय-पर देय कर का 45% 15 सितम्बर तक अग्रिम कर भुगतान	3 माह
15 दिसम्बर	75%	रिटर्न आय-पर देय कर का 75% 15 दिसम्बर तक अग्रिम कर भुगतान	3 माह
15 मार्च	100%	रिटर्न आय का 100% 15 मार्च तक अग्रिम कर भुगतान राशि	1 माह

नोट : हालाँकि, यदि कर निर्धारिती द्वारा आय पर 15 जून या 15 सितंबर से पहले अग्रिम कर का भुगतान विवरण आय का 12% या 36% जो भी स्थिति हो उससे कम नहीं है तब

© The Institute of Chartered Accountants of India

	उन तिथियों पर राशि की कमी होने पर कर निर्धारिती किसी भी ब्याज के भुगतान के लिए अधीन नहीं है। **विवरण आय पर देयनीय कर** = आय विवरण में घोषित कुल आय पर आदेय कर – TDS – TCS धारा 89 के तहत स्वीकार कर की कोई राहत – धारा 115JD के प्रावधानों के अनुसार पूर्ति की जाने वाले स्वीकृत कर जमा।
(b)	**धारा 44AD (1) या धारा 44ADA(1) के प्रावधान अनुसार जिस पर निर्धारिती ने मुनाफे तथा लाभ की घोषणा की हो उस स्थिति में धारा 234C में ब्याज की गणना** [Computation of interest under section 234 C in case of an assessee who declares profits and gains in accordance with the provisions of section 44AD(1) or section 44ADA(1) :
	वह कर निर्धारिती जिसने धारा 44AD(1) या धारा 44ADA(1) के प्रावधान अनुसार मुनाफे तथा लाभ की घोषणा की हो और वह धारा 208 में अग्रिम कर भुगतान के लिए देयनीय हो पर उसने कथित कर का भुगतान नहीं किया हो या **15 मार्च तक या उससे पहले** अग्रिम कर का भुगतान विवरण आय पर देय कर से कम हुआ हो, तब निर्धारिती विवरण आय पर देय कर से कम पड़े **मूल्य पर 1% के साधारण ब्याज** से देयनीय होगा।
(c)	**धारा 234C में दी विशिष्ट स्थितियों पर ब्याज की गैर प्रयोज्यता** (Non-applicability of interest under section 234C in certain cases)
	विवरण आय पर आदेय कर के भुगतान में आई कमी पर धारा 234C की ब्याज नहीं लगेगी यदि वह कमी उत्पन्न हुई हो कम अनुमान या अनुमान न कर पाने कर निम्नलिखित का– (i) पूँजीगत लाभ की राशि (ii) धारा 2(24)(ix) में दी गई आय जैसे कि लॉटरी, वर्गपहेली आदि से जीत। (iii) 'व्यापार या पेशे के मुनाफे तथा लाभ' शीर्षक के भीतर उत्पन्न हुई आय जहाँ वह आय कथित शीर्षक में पहली बार प्राप्त या उत्पन्न हुई हो। (iv) धारा 115 BBDA(1) के भीतर दी गई आय अर्थात् जो निर्धारिती की कुल आय में लाभांश का कुल जो ₹ 10 लाख से अधिक है। हालाँकि, कर निर्धारिती को (i), (ii), (iii) तथा (iv) में दी गई आय से संबंधित कर की पूरी राशि देनी होगी देय योग्य अग्रिम कर की किस्त का भाड़ा मानकर या कोई किस्त अगर देय योग्य नहीं है तो वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक, क्योंकि वह आय कुल आय का भाग है।
स्रोत पर कर संग्रह [धारा 206C] Tax Collection at source [section 206(C)]	

© The Institute of Chartered Accountants of India

(a) विशिष्ट वस्तुओं के विक्रेताओं को क्रेताओं से कर संग्रह करना आवश्यक है निर्धारित दरों पर। स्रोत पर कर संग्रह की निर्धारित प्रतिशत इस प्रकार है :

	वस्तु का विवरण	प्रतिशत
(i)	व्यक्तिगत खपत के लिए मादक पेय	1 %
(ii)	तेंदू पत्ते	5 %
(iii)	वन ठेके से प्राप्त टिम्बर	2.5 %
(iv)	(iii) के अतिरिक्त अन्य माध्यम से प्राप्त टिम्बर	2.5 %
(v)	टिम्बर या तेंदू पत्ते के अतिरिक्त अन्य वन उत्पादन	2.5 %
(vi)	रद्दी	1 %
(vii)	कोयला या भूरा कोयला या कच्चे लोहे के रूप में धातू	1 %

हालाँकि निवासी क्रेता की स्थिति में कर संग्रह नहीं किया जाएगा यदि क्रेता ने लिखित में दोहरी घोषणा जमा की है कि वस्तु का प्रयोग उत्पादन, संसाधन या वस्तु या सामान का उत्पादन या उर्जा उत्पन्न करने के साधन में हुआ है तथा लेन–देन व्यापार में नहीं।

(b) प्रत्येक व्यक्ति जिसने पट्टा या अनुज्ञप्ति या इकरार या अन्य में भाग लेकर कोई हक या लाभ का समर्पण करता है इनमें से किसी में भी –

– पार्किंग स्थल या

– टोल प्लाजा

– खदान या खुली खान

किसी अन्य व्यक्ति को (सामाजिक क्षेत्र, कम्पनी को छोड़कर) अपने व्यापार में उपयोग करने के लिए। अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से राशि प्राप्ति के नकद या चेक या ड्राफ्ट या अन्य माध्यम से या इनके द्वारा भुगतान करने योग्य राशि को अपने खाते नामे करने पर, जो भी पहले हो, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से 2% पर कर संग्रह किया जाएगा।

(c) प्रत्येक व्यक्ति विक्रेता के रूप में, मोटर गाड़ी की बिक्री पर ₹ 10 लाख से अधिक का प्रतिफल प्राप्त करता है तो प्राप्ति के समय क्रेता से प्रतिफल का 1% कर संग्रह किया जाएगा।

स्वयं ज्ञान की जाँच करें
(TEST YOUR KNOWLEDGE)

1. शहरी औद्योगिक जमीन के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए प्रतिफल के भुगतान के उत्तरदायी व्यक्ति को ₹ 2.5 लाख से अधिक भुगतान करने पर TDS की दर होगी –
   (a) 10%
   (b) 15%
   (c) 20%
   (d) 2%

© The Institute of Chartered Accountants of India

2. प्लाण्ट, मशीनरी व उपकरण के किराए पर TDS की दर होगी–
   (a) 2%
   (b) 5%
   (c) 10%
   (d) 1%
3. अग्रिम कर देय न होगा यदि TDS के बाद देय कर निम्न से अधिक या समान हो
   (a) ₹ 10,000
   (b) ₹ 15,000
   (c) ₹ 20,000
   (d) ₹ 25,000
4. अग्रिम कर के भुगतान न करने या कम करने पर
   (a) U/S 234 A में ब्याज देय होगा।
   (b) U/S 234 B ब्याज देय होगा।
   (c) U/S 234 C ब्याज देय होगा।
   (d) U/S 234A, 234B व 234C ब्याज देय होगा।
5. अग्रिम कर के स्थगन पर
   (a) धारा 234 A में ब्याज देय होगा।
   (b) धारा 234 B में ब्याज देय होगा।
   (c) धारा 234 C में ब्याज देय होगा।
   (d) धारा 234 A, 234 B व 234 C में ब्याज देय होगा।
6. भारत में निवासी X ₹ 10,000 लॉटरी में जीतता है। कौन–सा कथन सत्य है?
   (a) U/S 194 B @ 30% कर कटौती योग्य
   (b) U/S 194 B @ 30.9% कर कटौती योग्य
   (c) कोई TDS नहीं होगा
   (d) इनमें से कोई नहीं
7. X ने कॉल सेण्टर के व्यवसयी Y को, ₹ 40,000 15.7.2019 को पेशेवर सेवाओं के लिए भुगतान किया। X निम्नदर से TDS कटेगा–
   (a) 1%
   (b) 2%
   (c) 10%
   (d) 20%

© The Institute of Chartered Accountants of India

8. कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए धारा 44ADA के तहत अनुमानित कर के लिए चयन करने वाला एक आन्तरित सजावट कर्ता—

(a) वह 15.3.2020 को या उससे पूर्व अग्रिम कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

(b) वह अग्रिम कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा

(c) वह तीन किस्तों में अग्रिम कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा अर्थात् 15.9.2019, 15.12.2019 और 15.3.2020 को या उससे पूर्व

(d) वह चार किस्तों में अग्रिम कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा अर्थात्–15.6.2016, 15.9.2019, 15.12.2019 और 15.3.2020

9. वेतन प्राप्तकर्ता A, B को ₹ 51,000 प्रति माह किराया जून, 2019 से भुगतान करता है कौन–सा कथन सही है?

(a) TDS नहीं क्योंकि A को u/s 44 AB कर ऑडिट नहीं कटाना है।

(b) श्री B को किराये के भुगतान पर 10% प्रतिमाह की दर से स्रोत पर कर की कटौती।

(c) श्री B को किराये के भुगतान पर 5% प्रति माह की दर से स्रोत पर कर की कटौती।

(d) मार्च 2020 के लिए भुगतान किए गए किराए से वार्षिक किराए पर 5% की दर से स्रोत पर कर की कटौती।

10 A की कुल बिक्री ₹ 201 लाख है वह वित्त वर्ष, 2019-20 के लिए ₹ 10 लाख लाभ की घोषणा करता है। उसे अग्रिम कर चुकाना होगा–

(a) एक किस्त में

(b) दो किस्तों में

(c) तीन किस्तों में

(d) चार किस्तों में

11. अग्रिम कर किसे देना होगा। अग्रिम कर गणना की क्या प्रक्रिया है?

12. आयकर अधिनियम की धारा 234B के अन्तर्गत अग्रिम कर भुगतान न करने या न्यूनतम भुगतान के सम्बन्ध में क्या प्रावधान हैं?

उत्तर (Answer)

1. (a) **2.** (a) **3.** (a) **4**. (b) **5**. (c) **6**. (c) **7**. (b)

8 (a) **9**. (d) **10.** (d)

© The Institute of Chartered Accountants of India